भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3707
जिसका उत्तर बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है

प्रकरण गति प्रबंधन संबंधी नियम

3707. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया :
श्री धनुष एम. कुमार :
श्री सोयम बापू राव :
श्री जी. सेल्वम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार को प्रकरण गति प्रबंधन संबंधी नियम जो न्यायपालिका के अलग-अलग स्तरों पर समयबद्ध तरीके से प्रकरणों का प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, की जानकारी है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन तंत्र (एन.सी.एम.एस.) की योजना स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या एन.सी.एम.एस. देश के सभी न्यायालयों पर लागू होगा और इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है और विलंब के क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा मुकदमा और प्रकरणों की लंबितता के लिए समयबद्ध अवधि को कम करने के लिए इन मॉडल नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : जी, हां। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, विधि आयोग ने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मामला प्रवाह प्रबंधन नियम का प्रारूप और उच्च न्यायालयों के लिए मामले प्रबंधन नियमों का प्रारूप तैयार किया था।

(ग) और (घ) : जी, हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय प्रबंधन, मामला प्रबंधन का संवर्धन करने और न्याय प्रशासन में सुधार के लिए अपनी विभिन्न रिपोर्टों में भारत के विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्यवित करने और लागू करने के उद्देश्य से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समग्र नियंत्रण के अधीन समय पर न्याय में अभिवृद्धि करने के लिए 2012 में राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणालियों (एनसीएमएस) की स्थापना की है। राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएस) का गठन न्यायिक प्रणाली का सुधार करने और मजबूत करने, गुणवत्ता, प्रतिक्रिया और समयबद्ध न्यायिक प्रशासन में वृद्धि करने के लिए नीतिगत पहल के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था। एनसीएमएस की नीति और कार्य योजना न्यायालयों के लिए परिमेय पालन के मानक स्थापित करने, मामला प्रबंधन प्रणाली को अपनाने, न्यायिक डाटा और आँकड़ों के मानकीकरण और न्यायालयों के लिए मानव संसाधन योजना को अपनाने पर एनसीएमएस समिति द्वारा विकसित करके प्रस्तावों का उपबंध करती है। योजना, अन्य

बातों के साथ, मामला प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा की रूपरेखा तैयार करती है, जिसके अंतर्गत मुद्दों का निपटारा करना, वैकल्पिक विवाद समाधान के सहारे से पक्षों को प्रोत्साहित करना, सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, के आदेश 10 का व्यापक उपयोग, और मामलों के समाधान के लिए समय सारणी तय करना भी सम्मिलित है। तथापि, मामला प्रबंधन से संबंधित सिफारिशों को लागू करने के लिए इसे उच्च न्यायालयों के लिए खुला छोड़ दिया गया था। सभी उच्च न्यायालयों ने राज्य स्तर पर समान व्यवहार करने के लिए राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (एससीएमएस) समिति का गठन किया है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति का गठन किया गया है।

(ङ) : केंद्रीय सरकार मामलों के तेजी से निपटान और लंबित मामलों में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने कई रणनीतिक पहलों को अपनाया है, जिसमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना [न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों] में सुधार करना, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद, जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर बकाया समितियों द्वारा अनुवर्ती के माध्यम से लंबित मामलों में कमी करना, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर देना और मामलों के तेजी से ट्रैक करने के लिए पहल करना भी सम्मिलित है।

****